

अखंड भारत संदेश

www.akhandbharatsandesh.net

प्रयागराज से प्रकाशित

नगर संस्करण प्रयागराज

शुक्रवार 01 अप्रैल 2022

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को दुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान आश्रम की अनुपम भेंट

उत्तर-पूर्व में नए युग की शुरुआत

केंद्र ने असम, नगालैंड व मणिपुर में दशकों बाद अपस्था का क्षेत्र घटाया, शाह ने बताया ऐतिहासिक फैसला

आखिर AFSPA क्यों लागू हुआ, कब से लागू हुआ?


यह अंग्रेजों के दौर का एक्ट है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने पर इसे लागू किया गया।

एक्ट लागू होने के बाद 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं को अरेस्ट किया गया।

आजादी के बाद नेहरू ने इसे हिस्टोरिक एरिया में लागू रखा। बाद में इसे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में लागू किया गया।

पंजाब, कश्मीर में भी लागू हुआ लेकिन पंजाब में साल 2008 में इसे हटा दिया गया।

इसका महत्त्व राज्यों में उपराष्ट्रपति को रोकना और लॉ एंड ऑर्डर में सहायता देना है।



अभी तक इन जगहों पर लागू है अपस्था

अपस्था कानून असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर समेत कई हिस्सों में लागू किया गया था। हालांकि बाद में कई इलाकों से इसे हटा भी दिया गया।

विरोध में हुई थी ये घटनाएं: अपस्था के विरोध का जिक्र हो तो सबसे पहले मणिपुर की आयरन लेडी भी कही जाने वाली इरोम शर्मिला का जिक्र होता है। नवंबर 2000 में एक बस स्टैंड के



समझौते का असर: गृह मंत्री ने कहा कि अपस्था के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में कमी इन राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में सुधार, तेजी से विकास व तमाम शांति समझौतों के कारण हो सकी है। उत्तर पूर्व में मोदी सरकार ने शांति बहाल की है।

सोनोवाल बोले, शांति, प्रगति और सुरक्षा का एक नया युग: इस पर केंद्रीय मंत्री सबानंद सोनोवाल ने कहा, बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर पूर्व में शांति, प्रगति और सुरक्षा का एक नया युग लाया है। अपस्था के तहत क्षेत्रों में कमी से क्षेत्र में तेजी से विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा। रिजिजु ने कहा, फैसला हमारी सरकार की

नगालैंड में 14 मौतों के बाद तेज हो गई थी मांग

पिछले साल 4 दिसंबर को नगालैंड के मोन जिले में आर्मर्ड फोर्सों ने एक गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। उन्हें शक था कि गाड़ी में मिलिटेंट बैठे हैं, जबकि उस गाड़ी में मजदूर सवार थे जो मजदूरी करके लौट रहे थे। इसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर, मेघालय और असम में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। लोगों की एक ही डिमांड थी कि आर्मर्ड फोर्सों को स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 को हटाया जाए। वही वो एक्ट है जो आर्मर्ड फोर्सों को संधिध और गोली चलाने, तलाशी लेने, छापा मारने और हिरासत में लेने जैसे तमाम अधिकार देता है। मणिपुर के सीएम और उनके कैबिनेट मंत्री भी खुलकर इस एक्ट के विरोध में आ गए थे। इस घटना के बाद आर्मर्ड फोर्सों में सीनियर पोजिशन पर रहे दो एक्सपर्ट्स से बात कर जाना था कि यह एक्ट क्या है और ये जरूरी क्यों है। इस एक्ट में आर्मर्ड फोर्सों को स्पेशल पावर मिलते हैं। वे संधिध को गोली मार सकते हैं। बिना वारंट के छापा मार सकते हैं। पूछताछ कर सकते हैं और संधिध को हिरासत में भी रख सकते हैं। पुलिस मुकदमा जरूर दर्ज कर सकती है, लेकिन मामला न्यायालय में नहीं ले जा सकती। केंद्र सरकार चाहे तो जरूर कार्रवाई कर सकती है।

भारत में कैसे लागू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन की काट में यह एक्ट साल 1942 में अंग्रेज लाए थे। आजादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे जारी रखने का फैसला किया और 1958 एक्ट के रूप में नोटिफाई किया। नॉर्थ-ईस्ट राज्यों सहित जम्मू-कश्मीर, पंजाब में भी इसे लागू किया जा चुका है।

सीएम योगी का भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन, सोनभद्र डीएम निलंबित

लखनऊ: योगी आदित्यनाथ ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक सप्ताह के भीतर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने सोनभद्र जिलाधिकारी (डीएम) टीके शिबू को खनन मामले में अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया है। 2012 बैच के आईएएस अधिकारी टीके शिबू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व की भांति ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति इस कार्यकाल में भी सक्ती से लागू रहेगी। इस कार्रवाई के बाद डीएम के ऊपर विभागीय जांच

बैठा दी गई है। वाराणसी के कमिश्नर को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से कहा गया है कि सोनभद्र जिलाधिकारी टीके शिबू के विरुद्ध जिले में खनन और अन्य निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायतें जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही थी। इसके अलावा इनके खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी करप्शन करने की शिकायत की थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान भी जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी उन्होंने लापरवाही बरती थी।

धामी कैबिनेट: मंत्रालय बंटे अब नौकरशाही में होगा फेरबदल

देहरादून: अपने मंत्रियों को मंत्रालय बांटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब आने वाले कुछ दिनों में नौकरशाही फेरबदल की कवायद को अंजाम देंगे। नई सरकार के गठन के बाद से मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर शासन स्तर पर नौकरशाहों को बदलने की चर्चाएं हैं। पुलिस विभाग में भी बदलाव दिखाई दे सकता है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री बदलाव की शुरुआत शासन स्तर से करेंगे। इसका होमवर्क शुरू हो गया है। कतिपय



अधिकारियों ने भी तैनाती के लिए शुरू कर दी है। पहले आईएएस मुख्यमंत्री और मंत्रियों की परिष्कार अफसरों, प्रांतीय सेवा के

अधिकारियों में बदलाव होगा और उसके बाद भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के भी तबादले हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री भी नए अवतार दिखेंगे: अपने पहले कार्यकाल में रक्षात्मक दिखाई देने वाले मुख्यमंत्री धामी अब इस बार नए अवतार में दिखेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि उनकी दूसरी पारी ज्यादा आक्रामक होने जा रही है। वे अफसरों की ऐसी टीम तैयार कर रहे हैं जो परिणाम दे सके।

जेब पर तेल का बोझ बढ़ना जारी

9वीं बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम; चुनाव के बाद कुल 6.40 रुपए की बढ़ोतरी

नई दिल्ली: पेट्रोल-डीजल के दाम गुरुवार को 10 दिन में 9वीं बार बढ़े। गुरुवार को पेट्रोल-डीजल के दाम में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले बुधवार को भी 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। पिछले 10 दिन के दौरान पेट्रोल और डीजल के दाम अब तक 6.40-6.40 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। इससे सरकार की तरफ से नवंबर में दिवाली के मौके पर दिया गया पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती का लाभ भी खत्म हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत 101.81 रुपए प्रति लीटर और



93.07 रुपए प्रति लीटर (80 पैसे की बढ़ोतरी) हो गई है। वहीं, मुंबई में पेट्रोल-डीजल की कीमत 84 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 116.72 रुपए प्रति लीटर और 100.94 रुपए है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 107.45 रुपए

(76 पैसे की बढ़ोतरी) और डीजल की कीमत 97.52 रुपए (76 पैसे की बढ़ोतरी), कोलकाता में 83 पैसे की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल की कीमत 111.35 रुपए और डीजल की कीमत 96.22 रुपए हो गई है।

नई दिल्ली: एक अप्रैल यानी आज से वित्त वर्ष 2022-23 शुरू हो रहा है। इसके साथ ही कई नियम भी बदल जाएंगे। इनका असर हमारी कमाई, खर्च और निवेश पर पड़ेगा।

प्रॉविडेंट फंड: जिन कर्मचारियों ने पीएफ अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा किया है, उन्हें ब्याज पर इनकम टैक्स देना होगा। टैक्स कैलकुलेशन के लिए अमाउंट



को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक में छूट वाला योगदान, तो दूसरे में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का योगदान रहेगा, जो टैक्सबल होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए रहेगी।

किफायती घर: अगर आपने पहली बार

धारा 24 ई के तहत मिल रही 2 लाख रुपए की छूट के अलावा थी। यह लाभ उन्हीं टैक्सपेयर्स के लिए था, जिन्होंने घर खरीदने के लिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच कर्ज लिया हो।

क्रिप्टोकॉरेसी: वचुअल करेंसी पर भी 1 अप्रैल से कर संबंधी स्पष्ट नियम लागू होंगे। वचुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगेगा। किसी व्यक्ति को क्रिप्टो करेंसी बेचने पर फायदा होता है, तो उसे टैक्स देना होगा। बिना 1 जुलाई से 1% टीडीएस भी काटा जाएगा।

दवाएं: नए फाइनेंशियल इंवर में हेल्थकेयर भी महंगा हो जाएगा। करीब 800 लाइफ सेविंग ड्रग्स के दाम 10% तक बढ़ेंगे, जिससे इलाज के खर्च में बढ़ोतरी होगी।

नई दिल्ली: पेट्रोल-डीजल के दाम गुरुवार को 10 दिन में 9वीं बार बढ़े। गुरुवार को पेट्रोल-डीजल के दाम में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले बुधवार को भी 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। पिछले 10 दिन के दौरान पेट्रोल और डीजल के दाम अब तक 6.40-6.40 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। इससे सरकार की तरफ से नवंबर में दिवाली के मौके पर दिया गया पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती का लाभ भी खत्म हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत 101.81 रुपए प्रति लीटर और

93.07 रुपए प्रति लीटर (80 पैसे की बढ़ोतरी) हो गई है। वहीं, मुंबई में पेट्रोल-डीजल की कीमत 84 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 116.72 रुपए प्रति लीटर और 100.94 रुपए है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 107.45 रुपए

(76 पैसे की बढ़ोतरी) और डीजल की कीमत 97.52 रुपए (76 पैसे की बढ़ोतरी), कोलकाता में 83 पैसे की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल की कीमत 111.35 रुपए और डीजल की कीमत 96.22 रुपए हो गई है।

